न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 139/2016

उनवान

शकूर पुत्र सम्मा जाति चीता नि0 खापरी की डांग राजोसी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. बन्ना,
2. सरदार,
3. अशरफ पि0 जीवण जाति चीता नि. खापरी की डांग राजोसी, नसीराबाद,
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज. पैराकार

5. कर्मा पुत्र सम्मा जाति चीता नि0 खापरी की डांग राजोसी नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 5 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 23.9.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नांदला के हाल खाता संख्या 831/1007 किता 6 रकबा 0.98 व 830/236 किता 3 रकबा 0.28 की आराजी वादी की क्रयशुदा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व अध्किार निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 अत्यंत बलशाली स्वभाव का है। दिनांक 23.06.16 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने आराजी मुतनाजा पर हल चलाकर बलपूर्वक कब्जा कर लिया है। प्रतिवादीगण को उकत आराजी पर कब्जा करने का कोई हक नही है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को दिलवाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि जवाबकर्ता प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान कभी भी वादी को नही किया है। वादी द्वारा उक्त आराजी कब किससे, माध्यम से क्रय की है, इसका कोई अंकन नही है। आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण व अन्य के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो कर कब्जा प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से ही है। वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी द्वारा तमाम खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः वादी का वाद सव्यय खरिज किया जावे।

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:39:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक क्रयशुदा होने व प्रतिवादीगण का कब्जा अनाधिकृत होने से वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बेदखली प्राप्ति के अधिकारी है ?
—— वादी
2. आया प्रकरण में पक्षकार पूर्ण नही होने से वाद खारिज योग्य है ?
—— प्रतिवादी
3. अनुतोष ?

वाद विचारण के दोरान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख, विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम नांदला के हाल खाता संख्या 831/1007 किता 6 रकबा 0.98 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 की व खाता संख्या 830/236 किता 3 रकबा 0.28 की आराजी वादी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी की क्रयशुदा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब मं कथन किया है कि वादी द्वारा आराजी मुतनजाा के क्रय का विवरण वाद में अंकित नही किया है। किन्तु वाद विचारण के दौरान वादी द्वारा आराजी मुतनाजा के विक्रय पत्र पेश किये है। जिसके अनुसार वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 ने आराजी मुतनाजा दिनांक 3.12.09, 30.11.09 को 3 अलग–अलग विक्रय पत्र द्वारा क्रय की है। उक्त विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनजाा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 की खातेदारी में अंकित की गयी। प्रतिवादी का कथन है कि उक्त आराजी उनकी पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की है। किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के समर्थन में ऐसा कोई राजस्व अभिलेख या साक्ष्य पेश नही की है जिससे आराजी मुतनाजा उनकी/पूर्वजों की खातेदारी की सिद्व होती हो। प्रतिवादीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर उनका कब्जा कदीम से है किन्तु इसके समर्थन में भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा आराजी मुतनाजा पर बिना किसी अध्किार के कब्जा किया हुआ है। वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 के नाम आराजी मुतनाजा खातेदारी दर्ज है। वादी के विक्रय पत्र को सक्ष्सम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा गैर कानूनी व अवैध सिद्व होता है। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य वं दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व बेदखली व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादी द्वारा तमाम खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। अतः वादी का वाद सव्यय खरिज किया जावे। किन्तु उनके द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट नही किया है कि किन खातेदारों को अथवा किन व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। हाल खाता संख्या

——3

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:39:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

831/1007 किता 6 रकबा 0.98 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख़्या 5 की खातेदारी की है तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी को प्रकरण मे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी का कथन सिद्व नही होने के कारण तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जसती है।

उक्तानुसार ग्राम नांदला की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद ग्राम नांदला के हाल खाता संख्या 831/1007 किता 6 रकबा 0.98 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 को व खाता संख्या 830/236 किता 3 रकबा 0.28 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शकूर बनाम बन्ना

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 139/2016
पेश करने की दिनांक – 10.08.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई रमेश रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम नांदला की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद ग्राम नांदला के हाल खाता संख्या 831/1007 किता 6 रकबा 0.98 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 को व खाता संख्या 830/236 किता 3 रकबा 0.28 की आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 5 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 09 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:39:32 IST
Reason: SelfAttested